

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 51/2018

राजस्थान सरकार जरिये श्री अब्दुल सादिक, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

श्री योजीराम टी स्टॉल, बस स्टेण्ड, केकडी, जिला अजमेर जरिये श्री श्योजीराम गुर्जर पुत्र
श्री माधु गुर्जर,

.....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित: श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर - पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 24.07.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 23.02.2018 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरुपयोग/घरेलू सिलेण्डरों के अवैध रूप से गैस रिफिलिंग को रोकने के अभियान के तहत अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल की जांच करने पर अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर द्वारा चाय बनाकर ग्राहकों को कीमतन विक्रय करते पाये जाने पर अप्रार्थी के व्यवसायिक स्थल से दो घरेलू गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	695638	BPC	15.9	16.9	1.0	Domestic
2	549635	BPC	15.9	26.9	11.0	Domestic

को कब्जेराज लिया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरुपयोग एलपीजी (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाय एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है। अतः दो घरेलू सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर कृष्णा गैस एजेन्सी के कार्मिक लादूराम वर्मा, निवासी ग्राम खवास, केकडी को सुपुर्दगी में दिये गये। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा दोनों घरेलू सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 23.02.2018 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर

जिला कलक्टर
अजमेर

घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः कब्जेराज लिये गये दोनो घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावे।

जवाब में अप्रार्थी का कथन है कि उसके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया गया है। वक्त निरीक्षण जब्त किये गये दोनो घरेलू गैस सिलेण्डर अप्रार्थी की दुकान के पीछे केबिन से प्राप्त किये गये है जहां अप्रार्थी निवास करता है तथा उनका उपयोग घरेलू कार्य में ही किया जाता है। अप्रार्थी एक गरीब व्यक्ति है, जिसके पास घरेलू उपयोग हेतु अन्य कोई गैस सिलेण्डर नहीं है। अप्रार्थी को घरेलू गैस सिलेण्डर के अभाव में परेशानियों का सामना करना पड रहा है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज किया जाकर जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर लौटाये के आदेश न्यायहित में प्रदान करें।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा जवाब में ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के दर्ज नहीं किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनो का खण्डन करते। वक्त जांच उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये दो घरेलू गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.07.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।



An

(आरती डोगरा)
जिला कलक्टर
अजमेर